

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2530

दिनांक 21/08/24

अनवान :-

| | | |
|-------------|------|--------------|
| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
| विशना वगैरा | बनाम | डालू वगैरा |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 125/2023


दिनांक : 21.08.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा सोडियार के खेत खसरा सं. 151/86, 153/86 रकबा क्रमशः 17.3610, 01.4569 हैक्टर एवं मौजा भूकरानसर के खेत खसरा सं. 215, 216 रकबा क्रमशः 00.0486, 03.5450 हैक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।

विप्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2531 to 34

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी विशना वगैरा
3. विप्रार्थीगण डालू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 21/08/2024



(सूरजभान विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन